

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर (राज.)

पुरा व अन्त बनाम अमरा व अन्त
 मुकदमा प्राथिना पत्र पत्रावली संख्या 02/2026 सन

तारीख हुक्म कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी

19/1/26 वाड जॉय पत्रावली दर्ज रजिस्टर कोर्ट पेश हुई अप्राथीगो को नोटिस जारी किया जाकर वास्ते पत्रावली तलबी दिनांक 27/2/26 को पेश हो।



27/2/26 पत्रावली पेश हुई प्राथी अधिवक्ता उपरिचर तलबीलकार लसाडिया से अप्राथी को जीवाड तलबील अप्राफ इन्तजार तलबी दिनांक 17/4/26 को पेश हो।



17/4/26 पत्रावली पेश हुई प्राथी अधिवक्ता उपरिचर वाड तलबील अप्राफ इन्तजार तलबी वास्ते पत्रावली 15/5/26



15.5.26 पत्रावली पेश हुई प्राथी अधिवक्ता उपरिचर वाड तलबील अप्राफ इन्तजार तलबी वास्ते पत्रावली 29/5/26 को पेश हो।



9.5.26 पत्रावली पेश हुई प्राथी अधिवक्ता अनुपरिचर TDR लसाडिया से अप्राथी को जी वाड तलबील अप्राफ प्राथी अधिवक्ता को अप्रीकपेशी पर अपना पक्ष रखने हेतु अनिवार्य रूप से उपरिचर से

अनुपरिष्कार करने पर अनु तरफ कापवाही
की जायेगी, वास्ते पत्रावली शरणा (नलकी)
दिनांक 05.06.26 को पेश हो।



05.06.26 पत्रावली पेश हुई प्राची अधिवक्ता मध्य
प्राची अनुपरिष्कार प्राची अधिवक्ता द्वारा
उक्त न्यायालय में प्रस्तुत किया तो
न्यायालय को यह अपेक्षा रहती है की
उक्त न्यायालय में उपरिष्कार क्रोकर दायता
पहल रहे, लेकिन प्राची अधिवक्ता मध्य
प्राचीगण न्यायालय में अनुपरिष्कार रहे,
इससे यह जारी होता है की प्राची
अधिवक्ता मध्य प्राचीगणों को उक्त प्राचीगण
पत्र के सम्बन्ध में कोई भी नसी है

अतः न्यायालय द्वारा न्यायालय समक्ष
में 02 बार बार-बार आवाहे लगाने
के उपरान्त भी अनुपरिष्कार करने से प्रवर्तन
अदम साजरी - अदम फेरवी में इसी स्तर पर
रखा जायेगा

पत्रावली फंसल मुमाल होकर नलकी
में काम किया जावे।

निर्णय रबुले न्यायालय में मुनाफा जाये

